

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL**

**BENCH, NEW DELHI**

**EXECUTION APPLICATION NO. 66 OF 2025**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022**

**IN THE MATTER OF:**

Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr                      Applicant

Versus

Godwin Construction Company Pvt Ltd & Others                      Respondent(s)

**INDEX**

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Reply Affidavit of District Magistrate Meerut in compliance of order dated 20.02.2026 passed by this Hon'ble Tribunal.	
2.	<b><u>Annexure No. RA 1: -</u></b> A copy of the Letter dated 28.02.2026	
3.	<b><u>Annexure No. RA 2: -</u></b>	

	A copy of the Minutes of the Meeting dated 05.03.2026	
4.	<b><u>Annexure No. RA 3: -</u></b> A copy of the Office Letter dated 06.03.2026 issued by the Regional Officer, UPPCB, Meerut	
5.	<b><u>Annexure No. RA 4: -</u></b> A copy of the letter dated 06.03.2026	
6.	<b><u>Annexure No. RA 5: -</u></b> A copy of the Recovery Certificate dated 13.03.2026	

**DATED: - 17.03.2026**

**THROUGH**

*Ankit Verma*



**(ANKIT VERMA)**

**STANDING COUNSEL STATE OF UP**

**A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013**

**MOB:- 09990804440**

**Email-ankit.scngtup@gmail.com**



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ATTESTED**

**EXECUTION APPLICATION NO. 66 OF 2025**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022**



**IN THE MATTER OF:**

Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr

Applicant

Versus

Godwin Construction Company Pvt Ltd & Others

Respondent(s)

**REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE MEERUT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 20.02.2026 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL**

The Respondent No.6 herein states as under

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH:**

I, Vijay Kumar Singh aged about 55 years, S/o Sh. Parmanand Singh posted as District Magistrate Meerut, Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -



1. That I am the above-mentioned officer of the answering Respondent No.6 and is duly competent to file the present supplementary affidavit and is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present supplementary affidavit. The averments made in the Execution Application, which are not specifically admitted

hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

4. That this Hon'ble Tribunal vide it's order dated 20.02.2026 was pleased to issue the following directions: -



**".....6. Vice-Chairman, MDA, Member Secretary, UPPCB, Commissioner, Municipal Corporation, Meerut and District Magistrate, Meerut are directed to hold a meeting by inviting the representatives of the applicant and also of respondent no.1, if available and work out the modalities for carrying out the judgment passed by this Tribunal and make dedicated time bound efforts for execution of judgment dated 04.03.2025 and file by way of their own affidavits compliance reports/undertakings for compliance mentioning the timeline for execution of the judgment.**

**7. In case of non-compliance, the above-mentioned officers shall appear before the Tribunal physically or virtually to explain the reasons for such non-compliance.....**

**.....10. List on 18.03.2026 for further hearing....."**



5. That in compliance of the aforesaid directions passed by this Hon'ble Tribunal, vide order dated 20.02.2026, a meeting was convened under the chairmanship of the Deponent on 05.03.2026, wherein the following officers were present:

- a. Shri Saurabh Gangwar, Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Meerut

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

- b. Shri Suryakant Tripathi, Additional District Magistrate (Finance/Revenue), Meerut
- c. Shri Anand Kumar Singh, Secretary, Meerut Development Authority, Meerut
- d. Shri Pankaj Kumar, Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Meerut
- e. Shri Anuj Chaubey, Chief Law Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow (through Video Conferencing)
- f. Shri Anand Kumar, Chief Environmental Officer, Circle-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow (through Video Conferencing)
- g. Shri Rajendra Prasad, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Pallavpuram, Meerut
- h. Shri Ravi Prajapati, Tehsildar, Meerut


6. That in compliance with the order passed by this Hon'ble Tribunal, the complainant Shri Ravindra Singh, President, Greenwood City Villa Jan Welfare Society, Greenwood City, Behind Godwin Hotel, Baghpat Bypass Road, Meerut, and




Respondent No. 1 (M/s Godwin Construction Company Pvt. Ltd., through its Director), were duly informed vide office letter No. 1076/CRA/RC-I/Pradushan/2025-26 dated 28.02.2026 issued through the Tehsildar, Meerut; however, despite due intimation, he failed to appear in the meeting. A copy of the Letter dated 28.02.2026 is being annexed as **Annexure No. RA 1** to this affidavit.

7. That during the course of the meeting, the Chief Law Officer and Chief Environmental Officer of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow, who joined through video conferencing, were apprised of the factual position of the matter.

That in the meeting convened as mentioned above, it was resolved that in the present case, new Recovery Certificates (RC) against the defaulter/firm (Respondent No. 1) will be issued for recovery proceedings, after clearly incorporating the details of the properties supplied by the Meerut Development Authority and the Municipal Corporation, Meerut. A copy of the Minutes of the Meeting dated 05.03.2026 is being annexed as **Annexure No. RA 2** to this affidavit.



9. That pursuant thereto, the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Meerut, vide office letter No. 1996/G/EA-66/2025/OA-492/2022/26 dated 06.03.2026, forwarded the details of the properties of the defaulter/firm as provided by the Meerut Development Authority and the Municipal Corporation, Meerut, and requested that recovery proceedings be initiated against the immovable properties recorded in the name of M/s Godwin Construction Company Pvt. Ltd., Meerut, and its Directors Shri Jitendra Singh and Shri Shupendra Singh, Office at Greenwood City, near Godwin Hotel, Baghpat Bypass Road, Meerut, for realization of the amount of Environmental Compensation, in compliance of the order dated 04.03.2025 passed by this Hon'ble Tribunal. A copy of the Office Letter dated 06.03.2026 issued by the Regional Officer, UPPCB, Meerut is being annexed as **Annexure No. RA 3** to this affidavit.
10. That thereafter, the Office of the Deponent, issued a letter No. 02 dated 06.03.2026 and forwarded the matter to the Sub-Divisional Magistrate / Tehsildar, Meerut for recovery



proceedings. A copy of the letter dated 06.03.2026 is being annexed as **Annexure No. RA 4** to this affidavit.

11. That subsequently, the Sub Divisional Magistrate Meerut, submitted a report dated 13.03.2026 wherein it has been stated that an attempt was made to serve RC Form-36 (Demand Notice) upon the defaulter in accordance with law; however, it was learnt that the defaulter was not available at the address, and therefore the notice could not be personally served.

12. That consequently, a copy of RC Form-36 dated 13.03.2026 was served upon the authorized employee of the defaulter,

namely Shri Janendra, found present at the address mentioned in the demand notice, and information was also communicated

to Shri Jitendra Singh, Director, on his WhatsApp number 9837020204 through Tehsildar CUG No. 9454416692. A copy of the Recovery Certificate dated 13.03.2026 is being annexed as

**Annexure No. RA 5** to this affidavit.



13. That it is further stated that on the basis of the details of immovable properties provided by the Municipal Corporation, Meerut, and the Meerut Development Authority, and as



mentioned in letter No. 1996/G/EA-66/2025/OA-492/2022/26 dated 06.03.2026 issued by the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Meerut, the Sub-Divisional Magistrate, Meerut, has informed that in accordance with the provisions contained in the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 and the Rules framed thereunder, after service of Recovery Certificate on 13.03.2026, if the defaulter, namely M/s Godwin Construction Co. Pvt. Ltd. through its Directors Shri Jitendra Singh and Shri Bhupendra Singh, fails to deposit the amount of environmental compensation within the prescribed period of **15**

**days**, i.e., up to **28.03.2026**, then recovery proceedings shall be initiated by attachment of movable and immovable properties

under **RC Form-38, RC Form-41 (Attachment and seizure of land and other immovable property under Rules 158 & 162)**, and thereafter auction proceedings under **RC Form-43**, for recovery of the amount of environmental compensation totalling to a sum of **Rs. 10,00,00,000/- (Rupees Ten Crores only)**.



14. That Rule 158 & Rule 162 of the U.P. Revenue Code Rules 2016 are being reiterated herein for easy perusal of this Hon'ble Tribunal: -

**"158. Attachment of Holding :-**

**(1) Every process of attachment of land under section 174 shall be issued by the Collector or the Sub-Divisional Officer authorised by him in R.C. Form-41 and shall be affected in the manner provided in order 21 rule 54 of the First Schedule to the Code of Civil Procedure 1908.**



**(2) A copy of R.C. Form-41 shall also be served on the defaulter and the factum of attachment shall also be announced by beat of drum on the spot.**

**(3) If the defaulter pays the amount of arrear including the cost of the process of attachment, the property attached shall stand released.**

**162. Attachment of other immovable property: -**

**(1) Every process for the attachment of other immovable property of the defaulter under section 177 shall be issued in R.C. Form-41 and shall be affected in the manner prescribed in order 21 rule 54 of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908.**

**(2) A copy of the R.C. Form-41 shall also be served on the defaulter.**



**(3) If the defaulter pays the amount of arrears including the cost of process of attachment, the property shall stand released."**

15. That accordingly, it is most humbly submitted that recovery proceedings are being undertaken by the Tehsildar / Sub-Divisional Magistrate, Meerut, in accordance with law for realization of the aforesaid amount.

16. That further, the Deponent most respectfully submits before this Hon'ble Tribunal that the Deponent is duty-bound to ensure

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical stroke with a loop at the top and a horizontal stroke extending to the right.

strict compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal in letter as well as in spirit and will ensure that the entire recovery is executed in accordance with the provisions of the U.P. Revenue Code, 2006.

17. That in light of the aforementioned facts and circumstances, it is most respectfully prayed before this Hon'ble Tribunal, that the instant Reply affidavit filed by the District Magistrate- Meerut be taken on record, in the interest of justice.

  
**DEPONENT**



**Verification**

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this \_\_\_\_\_ day of March, 2026.

  
**DEPONENT**

Name Vijay Kumar Singh  
 Residence Chopla, Meerut  
 Verified by Suresh Kumar  
 Date 17 Month 03 Year 26

**SURESH KUMAR**  
 Advocate, NOTARY  
17/03/2026

Serial No. 21 Book No. 21  
 Date 17/03/2026  
 Registration No. 50269/2025  
 Chamber No.-1, Jain Milan Pyan  
 Chopla, Collectorate, Meerut - 250001



1. उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
3. नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पल्लवपुरम मेरठ।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या-66/2025 इन ओ0ए0 संख्या-492/2022 ग्रीनबुड सिटी विला जनवेलफेयर सोसाइटी व अन्य बनाम गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20-02-2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय पत्र संख्या 1069/सी0आर0ए0/आर0सी0/प्रदूषण/2025-26 दिनांक 27.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-02-2026 के अनुपालन के संबंध में दिनांक 03-03-2026 (मंगलवार) की दोपहर 12.15 बजे जिलाधिकारी महोदय मेरठ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट मेरठ स्थित जिलाधिकारी महोदय मेरठ कार्यालय/कार्यकक्ष में बैठक आहूत की गयी थी। तद्दिनांक को उ0प्र0 शासन द्वारा होली का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण उक्त बैठक दिनांक 05-03-2026 (गुरुवार) की दोपहर 01.00 बजे कलेक्ट्रेट, मेरठ प्रमाण स्थित कार्यकक्ष में बैठक आहूत की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या-66/2025 इन ओ0ए0 संख्या-492/2022 ग्रीनबुड सिटी विला जनवेलफेयर सोसाइटी व अन्य बनाम गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20-02-2026 के अंश निम्नवत हैं-

".....5. It may be observed here that O.A. No. 492 of 2022 was filed on 05.07.2022. The abovesaid O.A. was disposed of vide judgment dated 04.03.2025. The present Execution Application was filed on 10.09.2025. The order passed by this Tribunal is yet to be executed and the concerned authorities are delaying the matter without any effective time bound action for securing requisite compliance.

6. Vice-Chairman, MDA, Member Secretary, UPPCB, Commissioner, Municipal Corporation, Meerut and District Magistrate, Meerut are directed to hold a meeting by inviting the representatives of the applicant and also of respondent no.1, if available and work out the modalities for carrying out the judgment passed by this Tribunal and make dedicated time bound efforts for execution of judgment dated 04.03.2025 and file by way of their own affidavits compliance reports/undertakings for compliance mentioning the timeline for execution of the judgment.

7. In case of non-compliance, the above-mentioned officers shall appear before the Tribunal physically or virtually to explain the reasons for such non-compliance .."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में आपसे अपेक्षा है कि कृपया जिलाधिकारी महोदय मेरठ की अध्यक्षता में उक्त आहूत बैठक में समस्त अधिकारीगण भौतिक रूप से तथा मेरठ के बाहर स्थित अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मा0 अधिकरण द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-492/2022 में पारित आदेश दिनांक 04-03-2025 के अनुपालनार्थ सूचना सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(सूर्यकान्त त्रिपाठी)

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)

मेरठ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त बैठक में स्वयं सूचना सहित प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करे-

1. जिलाधिकारी महोदय मेरठ की सेवा में सादर सूचनानार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ।
3. उप-जिलाधिकारी/तहसीलदार मेरठ को इस निर्देश के साथ कि आप समस्त संबंधित को पत्र प्राप्त कराते हुए आहूत बैठक में समय पर उपस्थित होकर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
4. श्री रवीन्द्र सिंह, अध्यक्ष, ग्रीनबुड सिटी विला जनवेलफेयर सोसाइटी, ग्रीनबुड सिटी बिहाइन्ड, गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ को बैठक में स्वयं प्रतिभाग करने हेतु प्रेषित-द्वारा-तहसीलदार मेरठ।
5. गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी के माध्यम से 1<sup>st</sup> Director & Ops को बैठक में स्वयं प्रतिभाग करने हेतु प्रेषित-द्वारा-तहसीलदार मेरठ।



ATTESTED

NOTARY

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)  
मेरठ।

09 Feb 2026  
5/3/2026  
10/30

05/03/26

302

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

(संग्रह अनुभाग)

संख्या: 1077 / सी0आर0ए0 / आर0सी0-प्रथम / प्रदूषण / कार्यवृत्त / 2025-26

दिनांक 05.03.2026

:: बैठक कार्यवृत्त ::

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या-66/2025 इन ओ0ए0 संख्या-492/2022 ग्रीनवुड सिटी विला जनवेलफेयर सोसाइटी व अन्य बनाम गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 20-02-2026 के पैरा संख्या-6 में निम्न आदेश पारित किया गया। Vice-Chairman, MDA, Member Secretary, UPPCB, Commissioner, Municipal Corporation, Meerut and District Magistrate, Meerut are directed to hold a meeting by inviting the representatives of the applicant and also of respondent no.1, if available and work out the modalities for carrying out the judgment passed by this Tribunal and make dedicated time bound efforts for execution of judgment dated 04.03.2025 and file by way of their own affidavits compliance reports/undertakings for compliance mentioning the timeline for execution of the judgment.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 के अनुपालन में दिनांक 05.03.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। जिसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थित रहें-

1. श्री सौरभ गंगवार, नगर आयुक्त नगर निगम मेरठ।
2. श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी(वित्त/राजस्व) मेरठ।
3. श्री आनन्द कुमार सिंह, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।
4. श्री पंकज कुमार, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।
5. श्री अनुज चौबे, मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।(द्वारा-वीडियो कान्फेसिंग)
6. श्री आनन्द कुमार, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, सर्किल-3 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ(द्वारा-वीडियो कान्फेसिंग)
7. श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पल्लवपुरम मेरठ।
8. श्री रवि प्रजापति, तहसीलदार मेरठ।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता श्री श्री रवीन्द्र सिंह, अध्यक्ष, ग्रीनवुड सिटी विला जनवेलफेयर सोसाइटी, ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड, गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ एवं रेस्पोजेन्ट नं0-1 गॉडविन कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0-Through 1<sup>st</sup> Director & Ors को कार्यालय पत्रांक 1076/सी0आर0ए0/आर0सी0-प्रथम/प्रदूषण/2025-26 दिनांक 28.02.2026 के अर्न्तगत तहसीलदार मेरठ द्वारा सूचना देने के उपरान्त भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में नगर निगम मेरठ एवं मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा बाकीदार/फर्म की प्रोपर्टी की जानकारी प्राप्त की गयी। इस संबंध में वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से जुड़े श्री अनुज चौबे, मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ एवं श्री आनन्द कुमार, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, सर्किल-3 उ0प्र0 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। जिनसे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में संबंधित बाकीदार/फर्म की प्रोपर्टी की जानकारी मेरठ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप बाकीदार/फर्म की संबंधित प्रोपर्टी अंकित करते हुए रिवाईज आर0सी0 वसूली हेतु उपलब्ध कराये हेतु अपेक्षा की गयी। जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वसूली संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सकें।

उक्त बैठक में वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से जुड़े श्री अनुज चौबे, मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ एवं श्री आनन्द कुमार, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, सर्किल-3 उ0प्र0 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित बाकीदार/फर्म के विरुद्ध



रिवाईज आर0सी0 मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रोपर्टी संबंधी जानकारी इंगित करते हुए वसूली हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

अन्त में श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ को मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ एवं नगर निगम मेरठ द्वारा संबंधित बाकीदार/फर्म की प्रोपर्टी की डिटेल्स एवं तहसीलदार मेरठ द्वारा बाकीदार/फर्म संबंधी अभिलेखों की फर्द की प्रति प्राप्त करायी गयी तथा अपेक्षा की गयी कि वे प्रश्नगत प्रकरण में वसूली हेतु बाकीदार/फर्म की रिवाईज आर0सी0 तत्काल उपलब्ध करायें। जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में वसूली संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सकें।

इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) मेरठ को निर्देशित किया गया कि वे रिवाईज आर0सी0 प्राप्त होने के उपरान्त वसूली हेतु तहसीलदार मेरठ एवं उप-जिलाधिकारी मेरठ को तत्काल प्राप्त करायेगे तथा तहसीलदार एवं उप-जिलाधिकारी मेरठ रिवाईज आर0सी0 प्राप्त होने के उपरान्त सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ से बाकीदार/फर्म की सम्पत्ति से वसूली संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में सुनवाई की आगामी तिथि 18-03-2026 से पूर्व स्थायी अधिवक्ता मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली से सम्पर्क कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

(डा0 वी0के0 सिंह)

जिलाधिकारी, मेरठ।


संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) मेरठ को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।
4. उप-जिलाधिकारी/तहसीलदार मेरठ को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत प्रकरण में रिवाईज आर0सी0 प्राप्त होने के उपरान्त सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ से बाकीदार/फर्म की सम्पत्ति से वसूली संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में सुनवाई की आगामी तिथि 18-03-2026 से पूर्व स्थायी अधिवक्ता मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली से सम्पर्क कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ।
7. श्री अनुज चौबे, मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. श्री आनन्द कुमार, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, सर्किल-3 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ

(डा0 वी0के0 सिंह)

जिलाधिकारी, मेरठ।



304

Phone:- 0121-2577676  
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पाकेट -टी,सी-3/2, पल्लवपुरम फेस-2,  
मोदीपुरम,मेरठ-250110 (उ०प्र०)

ANNEXURE NO-RADII

संदर्भ सं०: 1996/G/EA-66/2025/OA-492/2022/26 दिनांक: 06.03.2026

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 492/2022, ग्रीनवुड सिटी विला वेलफेयर सोसाईटी बनाम गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि० थू इट्स डायरेक्टर व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 04.03.2025 एवं ई० ए० सं०- 66/2025 इन ओ०ए० सं०- 492/2022 में पारित आदेश दिनांक- 20.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक- 1066/सी०आर०ए०/आर०सी०प्रथम/प्रदूषण/2025-26, दिनांक- 26.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित विषयक दिनांक- 05.03.2026 को जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में आहूत बैठक के अनुक्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 492/2022, ग्रीनवुड सिटी विला वेलफेयर सोसाईटी व अन्य बनाम गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि० थू इट्स डायरेक्टर व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 04.03.2025 द्वारा प्रोजेक्ट प्रोपोनेट मै० गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि० थू इट्स डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध लगायी गयी रू० 10.0 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को वसूल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच38717/एन०जी०टी०- 293/2026, दिनांक- 05.03.2026 द्वारा निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक- 05.03.2026 को आहूत बैठक में नगर निगम, मेरठ, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं तहसीलदार सदर, मेरठ द्वारा फर्म मै० गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि०, मेरठ तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय ग्रीनवुड सिटी नियर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड़, मेरठ के नाम दर्ज सम्पत्तियों का विवरण निम्नलिखित प्रकाराया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विभाग का नाम व पता	दर्ज सम्पत्ति के विवरण का सन्दर्भ	संलग्नक
1.	नगर निगम, मेरठ	पत्रांक- 1275/मु०क०नि०अधि०-न०नि०मेरठ/2026, दिनांक- 16.01.2026 द्वारा नगर निगम, मेरठ के कार्यालय अभिलेख में दर्ज सम्पत्ति का विवरण।	संलग्नक-1 (पृष्ठ संख्या- 1)
2.	मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	पत्रांक- MeDA/2025-26/पी/39887, दिनांक- 18.02.2026 द्वारा प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्रों के अभिलेखों के आधार पर स्थित भूमि की सूचना।	संलग्नक-2 (पृष्ठ संख्या- 2 से 5)

कृ०प०उ०



बोर्ड मुख्यालय :- टी.सी. रा०, मे०. वि० वि० खण्ड, नगर, लखनऊ-226010 उ०प्र०)

11/3/2026  
SPM/TEA  
RCRA  
RC-I  
11/03/2026  
CHA


3.	तहसीलदार सदर, मेरठ	गाटा सं०- 1628 मि, गाटा सं०- 1627, गाटा सं०- 1626, गाटा सं०- 521, गाटा सं०- 416/1, गाटा सं०- 416/2 गाटा सं०- 514	संलग्नक-3 (पृष्ठ संख्या- 6 से 20)
----	-----------------------	--	---

पूर्व में जिला कलेक्टर, मेरठ से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक- 23.06.2025 द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 492/2022 में पारित आदेश दिनांक- 04.03.2025 के अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को वसूल किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र दिनांक- 23.06.2025 के अनुक्रम में उपरोक्त वर्णित सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त तालिका में अंकित पत्रांक/संलग्नक में अंकित/उल्लिखित मै० गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि०, मेरठ तथा उसके डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय- ग्रीनवुड सिटी नियर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ के नाम दर्ज सम्पत्ति से वसूल किये जाने की कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(राजेन्द्र प्रसाद)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सादर सूचनार्थ।
2. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पाकेट -टी,सी-3/2, पल्लवपुरम फेस-2,  
मोदीपुरम,मेरठ-250110 (उओप्र०)

ANNEXURE NO. RA-N

9-3-26

संदर्भ सं०: 1996/G/E.A-66/2025/OA-492/2022/28 दिनांक: 06.03.2026

सेवा में,

ADM(FIR)/CRA/CDM अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
मेरठ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 492/2022, ग्रीनवुड सिटी विला वेलफेयर सोसाईटी बनाम गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि० थू इट्स डायरेक्टर व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 04.03.2025 एवं ई० ए० सं०- 66/2025 इन ओ०ए० सं०- 492/2022 में पारित आदेश दिनांक- 20.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट  
मेरठ। 613

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक- 1066/सी०आर०ए०/आर०सी०प्रथम/प्रदूषण/2025-26, दिनांक- 26.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित विषयक दिनांक- 05.03.2026 को जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में आहूत बैठक के अनुक्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 492/2022, ग्रीनवुड सिटी विला वेलफेयर सोसाईटी व अन्य बनाम गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि० थू इट्स डायरेक्टर व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 04.03.2025 द्वारा प्रोजेक्ट प्रोपोनेट मै० गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि० थू इट्स डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध लगायी गयी रु० 10.0 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को वसूल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच38717/एन०जी०टी०- 293/2026, दिनांक- 05.03.2026 द्वारा निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक- 05.03.2026 को आहूत बैठक में नगर निगम, मेरठ, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं तहसीलदार सदर, मेरठ द्वारा फर्म मै० गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि०, मेरठ तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय ग्रीनवुड सिटी नियर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ के नाम दर्ज सम्पत्तियों का विवरण उपलब्ध कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विभाग का नाम व पता	दर्ज सम्पत्ति के विवरण का सन्दर्भ	संलग्नक
1.	नगर निगम, मेरठ	पत्रांक- 1275/मु०क०नि०अधि०-न०नि०मेरठ/2026, दिनांक- 16.01.2026 द्वारा नगर निगम, मेरठ के कार्यालय अभिलेख में दर्ज सम्पत्ति का विवरण।	संलग्नक-1 (पृष्ठ संख्या- 1)
2.	मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	पत्रांक- MeDA / 2025-26 / पी / 39887, दिनांक- 18.02.2026 द्वारा प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्रों के अभिलेखों के आधार पर स्थित भूमि की सूचना।	संलग्नक- 2 (पृष्ठ संख्या- 2 से 5)

तहसीलदार / मेरठ / मयाना / सरखाना  
संख्या..... 02 / सी०आर०ए०  
पृष्ठ संख्या..... / वि० 06/3/26  
कृपया धनराशि को कम्पनी थू-राजस्व के  
अनुरूप निर्धारित अवधि में करारपर मांग-पत्र  
इस कार्यालय को पारित कराये तथा  
समय-समय पर वसूली की स्थिति से  
अवगत कराते रहें।

बोर्ड मुख्यालय :- टी.सी.-12, वी. विभूति खण्ड, मोमती नगर, लखनऊ (उओप्र०)

अप (आरी अधिकारी (संग्रह)  
कलकट्टे, मेरठ,

TESTED



कृ०प०उ०

3.	तहसीलदार सदर, मेरठ	गाटा सं०- 1628 मि, गाटा सं०- 1627, गाटा सं०- 1626, गाटा सं०- 521, गाटा सं०- 416 / 1, गाटा सं०- 416 / 2 • गाटा सं०- 514	संलग्नक-3 (पृष्ठ संख्या- 6 से 20)
----	-----------------------	--	---

पूर्व में जिला कलेक्टर, मेरठ से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक- 23.06.2025 द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 492/2022 में पारित आदेश दिनांक- 04.03.2025 के अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को वसूल किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र दिनांक- 23.06.2025 के अनुक्रम में उपरोक्त वर्णित सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त तालिका में अंकित पत्रांक/संलग्नक में अंकित/उल्लिखित मै० गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि०, मेरठ तथा उसके डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय- ग्रीनवुड सिटी नियर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ के नाम दर्ज सम्पत्ति से वसूल किये जाने की कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(राजेन्द्र प्रसाद)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सादर सूचनार्थ।
2. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

O/c



बोर्ड मुख्यालय :- टी.सी.-12,बी. विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ-226010 उ०प्र०)

308  
घट्टाधन देय RCH-02  
6-3-26

ANNEXURE NO. RA-V

आर०सी०प्रपत्र-36

[दिखे नियम-141(3)]

माँग का अभिपत्र

9<sup>3</sup>/<sub>26</sub>

क्रम सं० श्री. जितेंद्र सिंह व श्री. सुपेन्द्र  
सेवा में, श्री. ए. एम. गाडगिन कन्स्ट्रक्शन  
को प्रो. एम. ए.  
श्री. कापालवती गौरीधर सिंघी निवा. गाडगिन  
हीटल बागपत बाईपास पोस्ट मेरठ

जहां तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में  
वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है।  
एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की  
तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दे  
अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके  
विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन  
उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

रकम = 10,00,000.00 + 31% पेंडिंग

जारी करने की तिथि: 9-3-26

मुहर

(तहसीलदार के हस्ताक्षर) तहसीलदार  
मेरठ

